अनुदान संख्या 93 – पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 93–MINISTRY OF TOURISM

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	227,24,00		230,74,00	200,79,17	–29,94,83
पूरक	Supplementary	3,50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					28,27,14
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted -					
मूल	Original	314,50,00		316,50,00	298,33,19	–18,16,81
पूरक	Supplementary	2,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					17,43,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (2994.83 लाख रु.) दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 350.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2994.83 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.350.00 lakhs obtained in December, 2004 and constituted 13 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	21069.00			
पू.	S.	350.00	20105.56	19940.16	–165.40
पु.	R.	–1313.44			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1500.00			
पु.	R.	–1500.00	. .	. .	. .

(I) 1500.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552"- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्कीमों पर व्यय करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का आंशिक उपयोग किए जाने और शेष निधियां व्यपगत न होने वाले पूल को अभ्यर्पित किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1500.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" – "Other Expenditure - Lump-sum Provision for Projects/Schemes of N E Region and Sikkim" - due to utilisation of part funds by re-appropriation to functional heads for incurring expenditure on schemes in North Eastern Region and surrender of remaining funds to non-lapsable pool.

(II) मुख्य शीर्ष "3452" - "सामान्य - अन्य व्यय - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - आंतर पर्यटन परियोजना" के अंतर्गत 350.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, यद्यपि, जो जिलाधीश से कार्यस्थल जागेश्वर संबंधी कार्य योजना प्राप्त न होने, पहचान किए गए अभिकरण (ओगिलवी इंटरएक्टिव) से बिलों के प्राप्त न होने और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दावे मंत्रालय को प्रस्तुत न किए जाने के कारण 111.25 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(II) Under Major Head "3452" – "General - Other Expenditure - UNDP-Endogenous Tourism Project" - funds of Rs.350.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.111.25 lakhs – due to non-receipt of work plan from District Collector relating to Jageshwar site, non-receipt of bills from the identified agency (Ogilvy Interactive) and non-submission of the claims by the United Nations Development Programme to the Ministry.

(III) मुख्य शीर्ष "3452" - "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "3452" - "General" – savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन"-

(A) "Direction and Administration" -

(क) "पर्यटन महानिदेशालय"- 248.78 लाख रु. की बचत (2251.25 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से सूचना और प्रौद्योगिकी प्रस्ताव अधूरे प्राप्त होने और विभिन्न उत्पादन कार्य और प्रचार अभियान लागू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(a) "Directorate General of Tourism" – saving of Rs.248.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2251.25 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals in respect of Information and Technology from the state governments and delay in implementation of the various production jobs and media campaigns.

(ख) ''विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय''- 126.05 लाख रु. की बचत (1910.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत और विदेश में रिक्त पदों को न भरे जाने, बाल शिक्षा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत के दावे प्रत्याशा से कम किए जाने, दावों का निपटान न किए जाने, किराए में संशोधन न किए जाने और विदेश स्थित कार्यालयों में पदों के रिक्त होने की वजह से रिहायशी आवास की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) ''प्रशिक्षण - सेवा प्रदायक के लिए क्षमता निर्माण''- 147.30 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के पुनर्गठन में विलंब होने की वजह से कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय - भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश संबंधी आय की वापसी संबंधी प्रावधान''- 749.97 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश संबंधी आय की वापसी के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.59 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (1816.81 लाख रु.) दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 200.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(b) "Tourist Offices Abroad" - saving of Rs.126.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1910.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts in India and abroad, less claims of Children Education Allowance and Leave Travel Concession than anticipated, non-settlement of claims, non-revision of rent and less requirement of residential accommodation because of vacancies in overseas offices.

(B) "Training – Capacity Building for Service Provider" – saving of Rs.147.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by the implementing agencies owing to delay in the restructuring of the scheme.

(C) "Other Expenditure- Provision for refund of disinvestment Proceeds for ITDC"- saving of Rs.749.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to less claims for refund of disinvestments proceeds for India Tourism Development Corporation.

(IV) Under one head saving of Rs.60.59 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.1816.81 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.200.00 lakhs obtained in December, 2004 and constituted 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	3500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–3500.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5452'' पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	27900.00	29657.00	29583.19	–73.81
पु.	R.	1757.00			

(I) 5500.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.5500.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान''- 3500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से निधियों का उपयोग को किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552" - "Other Expenditure–Lumpsum Provision for Projects/Schemes of the NE Region and Sikkim"- Rs.3500.00 lakhs - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads.

(खा) मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - पर्यटन अवसंरचना विकास निधि''- 2000.00 लाख रु. कार्यपद्धति तैयार किए जाने के लिए योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure-Tourism Accommodation- Tourism Infrastructure Development Fund" - Rs.2000.00 lakhs - due to non-receipt of approval from the Planning Commission for formulation of modalities.

(II) मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता''- 1734.60 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकारों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब होने की वजह से कई परियोजनाएं पूरी न होने के कारण हुई।

(A) "Asstt. for Large Revenue Generating Projects"- saving of Rs.1734.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to non-completion of several projects owing to delay in fulfilling the formalities by the financial institutions and State Governments.

(खा) ''गुलमर्ग में भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान के भवन का निर्माण''- 200.00 लाख रु. की बचत

(B) "Construction of Building of Indian Institute of Skiing and Mountaineering at Gulmarg" – saving of Rs.200.00 lakhs (against

(600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुलमर्ग में मौसम की खराब स्थिति होने की वजह से परियोजना का कार्यान्वयन रोक दिए जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''पर्यटक अवसंरचना'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''पर्यटक केंद्र - पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास''- 3851.89 लाख का अधिक व्यय (8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्यटन के संवर्धन के लिए एकीकृत पर्यटक सर्किटों के विकास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) ''पर्यटक आवास - उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य स्थान का विकास''- 1818.49 लाख रु. का अधिक व्यय (14000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग किए जाने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष '' 4552'' से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to holding up of project implementation owing to bad weather condition in Gulmarg.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure"- under the following heads:-

(A) "Tourist Centres - Integrated Development of Tourist Circuits" - excess of Rs. 3851.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for development of Integrated Tourist Circuits for promotion of Tourism.

(B) "Tourist Accommodation – Product/ Infrastructure and Destination Development"- excess of Rs. 1818.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional head for utilisation on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.